The Patna University (Amendment and Validation) Act, 2012

Act 21 of 2012

Keyword(s):
University Professor, Reader, Lecturer, University, Higher Education

Amendments appended: 13 of 2013, 18 of 2013

DISCLAIMER: This document is being furnished to you for your information by PRS Legislative Research (PRS). The contents of this document have been obtained from sources PRS believes to be reliable. These contents have not been independently verified, and PRS makes no representation or warranty as to the accuracy, completeness or correctness. In some cases the Principal Act and/or Amendment Act may not be available. Principal Acts may or may not include subsequent amendments. For authoritative text, please contact the relevant state department concerned or refer to the latest government publication or the gazette notification. Any person using this material should take their own professional and legal advice before acting on any information contained in this document. PRS or any persons connected with it do not accept any liability arising from the use of this document. PRS or any persons connected with it shall not be in any way responsible for any loss, damage, or distress to any person on account of any action taken or not taken on the basis of this document.

निबंधन संख्या पी0टी0-40

सत्यमेव जयते

बिहार गजट
असाधारण अंक
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

6 पौष 1934 (श0)

(सं0 पटना 696) पटना, वृहस्पतिवार, 27 दिसम्बर 2012

विधि विभाग

अधिसूचनाएं

27 दिसम्बर 2012

सं0 एल0जी0-1-17/2012/434/लेज:।—बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित निम्नलिखित अधिनियम, जिसपर महामहिम राज्यपाल दिनांक 25 दिसम्बर, 2012 को अनुमति दे चुकें हैं, इसके द्वारा सर्व-साधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है।

पटना विश्वविद्यालय (संशोधन एवं विधिमान्यकरण) अधिनियम, 2012

[बिहार अधिनियम 21, 2012]

पटना विश्वविद्यालय अधिनियम, 1976 (बिहार अधिनियम 24, 1976) का संशोधन करने के लिए अधिनियम ।

प्रस्तावना.—चूँकि, बिहार राज्य के विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यू०जी०सी०) द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुरूप बनाया जाना अत्यंत आवश्यक है,

और, चूँकि, पटना विश्वविद्यालय अधिनियम, 1976 के कतिपय प्रावधान में विसंगतियाँ हैं जिस कारण विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्गत विभिन्न विनियम/ निदेश/अनुदेश के अनुरूप किया जाना आवश्यक है। भारत सरकार एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा समय-समय पर निर्गत आदेश/रेगुलेशन के अनुरूप इस अधिनियम में शिक्षक की परिभाषा को भी परिभाषित करना आवश्यक है।

और, चूँकि, राज्य सरकार के पत्रांक 1216, दिनांक 18.09.75 के द्वारा राज्य के सभी विश्वविद्यालयों के कुलपति को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यू०जी०सी०) की अनुशंसा के आलोक में प्रयोग-प्रदर्शक का पद समाप्त होने की सूचना देते हुए राज्य सरकार के निम्नलिखित निर्णय को राज्य के विश्वविद्यालयों को संसूचित किया गया है कि दिनांक 01.01.1973 के पूर्व स्वीकृत पदों पर नियुक्त प्रयोग प्रदर्शक पूर्ववत् बने रहेंगे, परन्तु इन प्रयोग-प्रदर्शकों के पद की सेवा-निवृत्ति या अन्य

किसी कारण से रिक्ति होने की स्थिति में, भरा नहीं जायगा। दिनांक 01.01.1973 के पूर्व सृजित पदों पर तिथि 18.09.1975 के पूर्व अस्थायी रूप में नियुक्त प्रयोग प्रदर्शकों की योग्यता आदि की जाँचकर उन्हें स्थायी नियुक्ति के योग्य पाये जाने पर उनके स्थायीकरण में बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग द्वारा सहमति प्राप्त किये जाने की आवश्यकता थी।

और, चूँकि, विभागीय पत्रांक 1789, दिनांक 26.08.1977 में राज्य सरकार के द्वारा मगध विश्वविद्यालय सहित राज्य के अन्य विश्वविद्यालयों को सूचित किया गया था कि भारत सरकार की अनुशंसा पर प्रयोग प्रदर्शक का पद समाप्त कर दिया गया है, और उन पदों पर अब नियुक्ति नहीं करनी है। इस पत्र में भारत सरकार के निर्णय को निम्नरूप से उद्धरित किया गया था "The revised scale of Rs. 500-900 is for the existing demonstrator/Tutors only. In future demonstrator/Tutors shall not be appointed in the Universities and Colleges."

और, चूँकि, यू०जी०सी० रेगुलेशन 1991 शैक्षिक पद के लिए अर्हता निर्धारित करता है।

और, चूँकि, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग सिर्फ त्रि-स्तरीय शैक्षिक पद, नामत: व्याख्याता, रीडर एवं प्राचार्य को मान्यता प्रदान करता है;

और, चूँकि, पटना विश्वविद्यालय अधिनियम 1976 में 'शिक्षक' की परिभाषा में स्पष्टता का अभाव है जिस कारण शिक्षक की योग्यता धारण नहीं करने वाले शिक्षकेत्तर कर्मियों को नियुक्ति की तिथि से 'शिक्षक' के रूप में परिभाषित किया जाने लगा है एवं अस्वीकृत पदों तथा स्टाफिंग पैटर्न के आधार पर नियुक्त/ कार्यरत शिक्षकेत्तर कर्मियों की सेवा सामंजन का प्रश्न भी उठ खड़ा हुआ है, अतएव बिहार के विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों के शैक्षणिक वातावरण के संवर्धन तथा शैक्षणिक क्षेत्र में उत्कृष्टता प्राप्त करने तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अपेक्षाओं के अनुरूप पटना विश्वविद्यालय अधिनियम 1976 के कतिपय विद्यमान संगत प्रावधानों को संशोधित किया जाना अनिवार्य है,

और, चूँकि, माननीय पटना उच्च न्यायालय के राँची खण्डपीठ के द्वारा एल०पी०ए० संख्या-274/1997 (आर) में एकलपीठ के न्यायादेश सी०डब्ल्यू०जे०सी० संख्या-2176/1996(आर) दिनांक 03.04.1997 को प्रयोगशाला सहायक को शिक्षक के रूप में स्वीकार्य किये गये दावा को खारिज कर दिया है;

और, चूँकि, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सिविल अपील संख्या-4215-16/2002 दिनांक 22.07.2002 को खारिज करते हुए निर्णय दिया कि खण्डपीठ के आदेश में कोई गलती नहीं है। पीठ ने बिल्कुल ठीक ही अवलोकन किया है कि प्रयोगशाला कर्मियों को शिक्षक माने जाने के लिए सामान्य निदेश नहीं दिया जा सकता क्योंकि अर्हता एवं अन्य महत्वपूर्ण सूचनाओं को प्रत्येक वादी के मामले पर विचार करने के समय उनके द्वारा धारित योग्यता एवं तथ्यों की अलग से राज्य सरकार द्वारा जाँचा जाना है। अत: खण्डपीठ के इस निर्णय के विरूद्ध माननीय सर्वोच्च न्यायालय को कोई त्रुटि नहीं मिलता है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय किया कि प्रयोगशाला कर्मी को शिक्षक घोषित नहीं किया जा सकता।

और, चूँकि, राज्य मंत्रिमंडल के निर्णयोपरांत पत्रांक-1115 दिनांक 14.06.2006 निर्गत किया गया;

और, चूँकि, पत्रांक-1115 दिनांक 14.06.2006 में ज्ञापांक-1456 दिनांक 01.08.2006 के द्वारा परिवर्तन किया गया;

और, चूँकि, दिनांक 18.12.2008 को राज्य सरकार ने स्पष्ट किया कि इन कर्मियों को प्रयोग प्रदर्शक के रूप में पदनामित सिर्फ वेतनमान और भत्ते के लिए किया गया है न कि उन्हें शिक्षक के रूप में मान्य किये जाने हेतु;

और, चूँकि, माननीय पटना उच्च न्यायालय ने सी०डब्ल्यू०जे०सी० संख्या-1377/2010 दिनांक 21.09.2010 में कहा कि पटना विश्वविद्यालय अधिनियम 1976 के अन्तर्गत दिए गए शिक्षक के परिभाषा के अधीन पदनामित प्रयोग प्रदर्शक को शिक्षक माना गया है अत: वे सभी लाभ पाने के हकदार हैं;

और, चूँकि, एल०पी०ए० संख्या-981/2011 दिनांक 11.07.2011 के न्याय निर्णय में माननीय अपीलीय न्यायालय द्वारा तत्कालीन राँची खण्डपीठ के निर्णय के आलोक में राज्य सरकार के द्वारा दिनांक 14.06.2006 को निर्णय लिया गया कि स्नातक प्रयोगशाला सहायक/ कनीय प्रयोगशाला सहायक/ प्रयोगशाला प्रभारी/ प्रयोगशाला तकनीशियन/ तकनीकी सहायक इत्यादि जो अंगीभूत महाविद्यालय/ विश्वविद्यालय के प्रयोगशाला में नियुक्त हों को पुर्ननामित प्रयोग प्रदर्शक माना जाय। उक्त निर्णय में यह विशेष रूप से निर्णय किया गया था कि पुर्ननामित प्रयोग प्रदर्शक भी प्रयोग प्रदर्शक के पद पर दी जानेवाली सभी लाभ के हकदार होंगे।

और, चूँकि, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उक्त LPA के आदेश के विरूद्ध दायर SLP(C) No.-CC-1324/2012 को शुरू में ही निरस्त कर दिया।

और, चूँकि, "शिक्षक" की परिभाषा में अस्पष्टता एवं त्रुटि के कारण ही शिक्षकेतर पद का पुर्नपदनाम का प्रश्न उत्पन्न हुआ।

और, चूँकि, राज्य मंत्रिपरिषद ने विधिक परामर्श और एल०पी०ए० न्यायालय के आदेश के आलोक में भूल सुधारने का निर्णय लिया और दिनांक 14.06.2006 को निर्गत पत्र तथा दिनांक 01.08.2006 को निर्गत उसके शुद्धि पत्र जिसके द्वारा प्रयोगशाला कर्मियों को प्रयोग प्रदर्शक के रूप में पदनामित करने के निर्णय को राजकीय संकल्प संख्या-608 दिनांक 10.04.2012 के द्वारा वापस लेने का निर्णय लिया गया।

और, चूँकि, शिक्षक को परिभाषित करने में संशोधन करने की आवश्यकता है ताकि शिक्षकेतर प्रयोगशाला कर्मी जो प्रयोग प्रदर्शक के रूप में पदनामित हैं को पुर्नपदनामित करने की तिथि से शिक्षक की श्रेणी से एल०पी०ए० संख्या-981/2011 और विधि परामर्श के आलोक में अलग रखा जा सके क्योंकि यू०जी०सी० और भारत सरकार प्रयोग प्रदर्शक को शिक्षक के रूप में मान्यता प्रदान नहीं करते हैं।

भारत गणराज्य के तिरसठवें वर्ष में बिहार राज्य विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो : -

1. <u>संक्षिप्त नाम एवं प्रारंभ</u> ।-(1) यह अधिनियम पटना विश्वविद्यालय (संशोधन एवं विधिमान्यकरण) अधिनियम, 2012 कहा जा सकेगा।

(2) यह अधिनियम विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विनियम 1991 के निर्गमन की तिथि यथा 5 अक्तूबर, 1991 के प्रभाव से प्रवृत समझा जायगा।

2. <u>बिहार अधिनियम 24, 1976 की धारा-2 में संशोधन</u> ।- धारा-2 के खण्ड (द) को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा :-

"(द) इस अधिनियम या किसी अन्य अधिनियम, अध्यादेश, नियम या न्यायालय के किसी निर्णय या डिक्री में किसी बात के प्रतिकूल होते हुए भी, ''शिक्षक'' से अभिप्रेत है केवल विश्वविद्यालय प्राचार्य/ प्राचार्य, रीडर तथा व्याख्याता के पद एवं यू०जी०सी० के द्वारा समय-समय पर निर्गत विनियमों में शिक्षक की श्रेणी में स्वीकार किये गये पद;

परन्तु, अधिनियम की धारा-2(द) में उक्त प्रतिस्थापन के होते हुए भी तिथि 01.01.1973 के पूर्व स्वीकृत पदों पर तिथि 18.09.1975 तक बिहार लोक सेवा आयोग या बिहार विश्वविद्यालय सेवा आयोग की अनुशंसा/सहमति से कार्यरत 'प्रयोग प्रदर्शक' इस प्रतिस्थापन से प्रभावित नहीं होंगे।

3. <u>अधिनियम का अध्यारोही प्रभाव</u> ।- अन्य अधिनियम, अध्यादेश, विनिश्च नियम, परिनियम, किसी न्यायालय के निर्णय में किसी प्रतिकूल बात के अंतर्विष्ट होने पर भी, इस अधिनियम के प्रावधानों का अध्यारोही प्रभाव होगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

विनोद कुमार सिन्हा,

सरकार के सचिव।

27 दिसम्बर 2012

सं0 एल0जी0-1-17/2012/435/लेज:।—बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित और महामहिम राज्यपाल द्वारा दिनांक 25 दिसम्बर 2012 को अनुमत **पटना विश्वविद्यालय (संशोधन एवं विधि मान्यकरण) अधिनियम, 2012** का निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन उक्त अधिनियम का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

विनोद कुमार सिन्हा,

सरकार के सचिव।

Patna University (Amendment and Validation) Act, 2012

[Bihar Act 21, 2012]

AN
ACT

To amend the Patna University Act, 1976 (Bihar Act 24, 1976)

Preamble.—Whereas, it is most expedient to make the University Act consistent with and in conformity with standards of University Grants Commission (U.G.C.);

And, whereas, anomalies exist in the provisions of The Patna University Act, 1976 so amendment is essential for bringing the Act on the line of different regulations/ direction/ instruction of UGC and define teacher in conformity with the definition incorporated in various regulations of UGC and orders issued by Govt. of India.

And, whereas, vide government letter no. 1216 dated 18-09-75 all the Vice-Chancellors of the State have been informed of the abolition of the post of Demonstrator in the light of UGC recommendation, decision of the State Govt. has also been communicated to the Universities that the Demonstrators appointed on the sanctioned post before 01-01-1973 shall continue but the post shall not be filled up in case of vacancy caused due to retirement or death of the said post holders. On the post sanctioned before 01-01-1973 and appointed temporarily by 18-09-1975, such temporary demonstrators were to be examined in respect of qualification and on finding them fit for permanent appointment concurrence was to be obtained from Bihar State University Service Commission.

And, whereas, all university including Magadh University had been informed vide letter no. 1789 dated 26-08-1977 that on the recommendation of Govt. of India, the post of Demonstrator had been abolished and that no appointment was to be made on such posts. In this letter, Govt. of India decision was quoted as follows :- *"The revised scale of Rs. 500-900 is for the existing Demonstrator/Tutors only. In future Demonstrator/Tutors shall not be appointed in the Universities and Colleges"¸*

And, whereas, the UGC Regulation, 1991 prescribed qualification for appointment to teaching post.

And, whereas, the UGC recognises only three tier teaching post namely Lecturer, Reader and Professor.

And, whereas, definition of Teacher under the Patna University Act, 1976 is not clear, due to which non teaching employees not holding the qualification of a teacher have been defined as a Teacher from the date of appointment and the question of adjustment of service of non-teaching employees appointed/ working against Unsanctioned Post on the basis of Staffing Pattern has arisen. Therefore for promotion of educational environment and for attaining academic excellence in these institutions as per the expectation of U.G.C., it is essential to amend the existing relevant provisions of The Patna University Act, 1976.

And, whereas, the Division Bench of Patna High Court, Ranchi Bench in LPA No. 274/1997 (R) while partly allowing the appeal set aside the direction of the Single Judge dated 3.4.1997 in CWJC No. 2176/1996(R) to treat the Lab. Assistant as teacher.

And, whereas, the apex court while dismissing Civil Appeal No. 4215-16/2002 dated 22.7.2002 held that the order of the Division Bench cannot be faulted with apart from the fact that no such specific prayer was made. The Bench observed that such general direction could not be issued as the qualifications and other relevant facts in respect of each Lab. Assistants may have to be examined by the State Government while considering their representation. The Hon'ble apex court did not find merit in the challenge made aginst that part of the order of the Division Bench. The apex court held that Lab personnel can’t be declared Teacher.

And, whereas, after the Cabinet decision letter No. 1115 dated 14.6.2006 was issued for re-designation of Lab. Personnel.

And, whereas, modification in the letter no. 1115 was made vide memo no. 1456 dated 1.8.2006 without cabinet decision.

And, whereas, on 18.12.2008 the State Govt. clarified that re-designation as Demonstrator was issued only for pay scale and allowance and not to convert them as teacher.

And, whereas, on 21.9.2010 the Hon'ble Patna High Court in CWJC No. 1377/2010 held that re-designated Demonstrators acquired the status of teacher in terms of the definition of teacher under the Patna University Act, 1976 and as such entitled to all benefits.

And, whereas, on appeal LPA Court in LPA No. 981/2011 dated 11.7.2011 held that inspite of the decision of the Division Bench of the then Ranchi Bench of the Patna High Court confirmed by the Hon'ble Supreme Court, the Government of Bihar in its wisdom took a decision on 14.6.2006, to re-designate the graduate Laboratory Assistant/Junior Laboratory Assistant/Laboratory Incharge/ Lab. Technician/Technical Assistant, etc. appointed in the Laboratory of the constituent colleges as Demonstrators. Under the said decision, it was specifically decided that since re-designation as Demonstrators the concerned employees will be entitled to all the benefits of the post of Demonstrator.

And, whereas, the apex court dismissed SLP(C) No. CC-1324/2012 filed against the order of said LPA in limine.

And, whereas, redesignation of non teaching posts has arisen on account of vagueness and flaw in the definition of 'teacher'.

And, whereas, the State Cabinet decided to rectify mistake in the light of legal opinion and the observation of the LPA court and decided to withdraw the previous decision of re-designation of Lab. Personnel as Demonstrator with effect from the date of issuance of letter of re-designation dated 14.6.2006 and its modification dated 1.8.2006 and Government resolution no. 608 dated 10.4.2012 was issued.

And, whereas, it is necessary to amend the definition of the teacher to exclude the non-teaching employee Lab. Personnel re-designated Demonstrator with effect from the date of re-designation, as UGC and Central Govt. do not recognise Demonstrator as teaching employee in the context of observation of the LPA court in LPA No. 981 of 2011 as well as Legal Advice.

Be it enacted by the Legislature of the State of Bihar in the sixty third year of the Republic of India as follows :-

1. **Short title and Commencement .**- (1) This Act may be called The Patna University (Amendment and Validation) Act, 2012.

(2) This Act shall be deemed to come into force from the date of issue of U.G.C. Regulation, 1991 i.e. with effect from 05 October, 1991.

2. **Amendment in Section-2 of the Bihar Act-24, 1976** - clause (r) of section-2 shall be substituted by the following :-

"(r) "Teacher" means person holding the post of only University Professor/ Professor, Reader, and Lecturer and such sanctioned posts in the teacher's grade on the basis of regulations issued by the U.G.C. from time to time;

Provided, that notwithstanding the said substitution in Section-2(r), the action taken in respect of working Demonstrators appointed before 18-09-1975 on the post sanctioned before 01-01-1973 with the concurrence of Bihar Public Service Commission or Bihar State University Service Commission shall not be affected by this substitution.

3. **Overriding effect of the Act .-** Notwithstanding anything contained contrary in this Act or any other Act, Ordinances, Rules or decision or judgment or decree of any court the provisions of this Act shall have overriding effect.

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,

विनोद कुमार सिन्हा,

सरकार के सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 696-571+400-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in